उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 348/XXVII(9)/स्टाम्प/2006
देहरादूनः दिनांक 28 दिसम्बर, 2006
अधिसूचना

राज्यपाल, (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2 1899) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काफलीगैर, जनपद बागेश्वर में ''कृषि विज्ञान केन्द्र'' की स्थापना हेतु अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लिमिटेड, अल्मोड़ा द्वारा विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा को लीज पर दी जाने वाली 7.883 हैक्टेयर भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क रू0 7,66,160 (सात लाख छियासठ हजार एक सौ साठ मात्र) तक की छूट दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिला–निबन्धक, उत्तरांचल।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियॉ शासन के वित्त अनुभाग–9 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव।